न्यायालय अवर न्यायाधीश

सोनपुर सारण।

हकियत वाद सं0–462 सन् 2015

भिखारी राय वो अन्य.....वादीगण

बनाम

उमेश राय वो अन्य .....प्रतिवादीगण।

दिनांक– 18.07.2022

उभय पक्ष की ओर से हाजिरी है। आज अभिलेख वादी की ओर से आदेश 22 नियम 3 वो धारा 151 सी0पी0सी0 के अंतर्गत दाखिल आवेदन दिनांक 23.05.2022 पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादी का आवेदन में कथन है कि वादी ने यह मुकदमा तथा कथित बक्सीसनामा दिनांक 18.06.1918 मु0 रजपतिया बनाम खेलावन राउत को बेअसर घोषित करने वो अन्य परितोष हेतु दाखिल किया है। मुकदमे की कार्यवाही के दरम्यान वादी सं0 01 भिखारी राय की मृत्यु दिनांक 17.12.2021 को अपने कानूनी वारिसानों को छोड़कर हो गई है। वादी को कानूनी पहलुओं की जानकारी के अभाव में प्रतिस्थापना सवाल दाखिल नहीं किया जा सका। न्यायहित में वादी सं0 01 भिखारी राय का नाम कलमजद होना वो इनके वारिसानों का नाम कलमबद्ध होना जरूरी है। अतः निवेदन है कि भिखारी राय का नाम कलमजद करते हुए इनके वारिसानों का नाम कलमबद्ध करने की कृपा प्रदान की जाए। वादी की ओर से धारा 5 परिसीमा अधिनियम के अंतर्गत विलंब माफ करने हेतु आवेदन तथा एबेटमेंट सेटेसाईट करने हेतु भी आवेदन दाखिल किया गया है।

प्रतिवादी की ओर से उपर्युक्त आवेदन का प्रतिउत्तर दाखिल नहीं किया गया है।

वादी के विद्वान अधिवक्ता को विगत तिथि को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन

से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में वादी सं0 1 भिखारी राय थे जिनकी मृत्यु दिनांक 17.12.2021 को अपने कानूनी वारिसानों को छोड़कर हो गई। वादी की ओर से यह आवेदन वादी सं0 01 भिखारी राय का नाम वादपत्र से कलमजद करने तथा जायज वारिसनों को प्रतिस्थापित करने हेतु दाखिल किया गया है। वादी की ओर उपरोक्त आवेदन विलंब से दाखिल किया गया है एवं वाद अबेट कर गया है। अतः वादी की ओर से दाखिल प्रतिस्थापना आवेदन को 500/– रूपये खर्चा के साथ विलंब माफ करते हुए एवं उपसमन अपास्त करते हुए न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है। वादी को निर्देश दिया जाता है कि वे खर्च की राशि नजारत में जमा करें

वाद दिनांक ..... को अग्रिम कार्यवाही हेतु।

सब जज

सोनपुर सारण।